

विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

संसद का विशेष सत्र-बूझो तो जानें

संसद का विशेष सत्र जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक होगा, सबके लिए एक पहली की तरह सिद्ध हो रहा है। जनता को तो छोड़िए, मीडिया तक को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इस विशेष संसद सत्र को क्यों बुलाया गया है और इसमें किन विषयों पर चर्चा होनी है? राजनीतिक दल एवं अन्य राजनीतिक पंडितें भी अपनी-अपनी दृष्टि से केवल अनुमान ही लगा रहे हैं। सरकार सामान्यता स्वयं ही स्पष्ट कर देती है कि विशेष सत्र का उद्देश्य क्या है ? ऐसा इस बार कुछ नहीं किया गया है, इसीलिए अफवाहों का बाजार गर्म है। इस लेख में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस विशेष सत्र का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार के विषय इसमें लिए जा सकते हैं?

यह मान कर चलना गलत नहीं होगा कि यह विशेष सत्र आगामी कुछ माह में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव एवं मई, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही बुलाया गया है। अतः यह तो स्वाभाविक है कि इस सत्र का प्रमुख उद्देश्य भाजपा द्वारा चुनाव में सफलता को सुनिश्चित किया जाना होगा। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है कि गत कुछ दिनों में जब से विपक्षी दलों ने एक जुट होकर ‘इंडिया’(INDIA) के नाम से गठबंधन बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए में कुछ घबराहट सी दिखाई देती है। भाजपा जितनी निश्चित पहले थी उतनी वर्तमान में दिखाई नहीं देती। इसलिए स्वाभाविक है कि वह मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए संसद का विशेष सत्र ही क्यों न बुलाया जाए।

पहला अनुमान तो यही है कि संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करके देश का नाम केवल ‘भारत’ ही रख दिया जाए। वर्तमान में हिंदी में भारत एवं अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और इसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद एक में है। विश्व भर में भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। जब से विपक्षी दलों ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया (Indian National Developmental Inclusive Alliance) रखा है, तब से भाजपा एवं प्रधानमंत्री मोदी इस इंडिया नाम का ही मज़ाक बनाने में लगे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि देश के नाम से भी इंडिया हटाने का प्रयास जारी है। संवैधान विशेषज्ञों का मानना है कि नाम परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। न केवल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ‘भारत’ नाम करने पर प्ता नहीं किन–किन स्थानों पर परिवर्तन करना होगा? अब सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ भारत कहलाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम में से भी इंडियन शब्द को हटाना होगा। इंडियन आर्मी को भी क्या अंग्रेजी में भारतीय आर्मी ही कहा जाएगा। इसके बदलाव की प्रक्रिया में कितना धन और श्रम लगेगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जब सड़कों, शहरों और योजनाओं का नाम बदलने से काम नहीं चला तो अब देश का ही नाम बदला जा रहा है। वास्तव में यदि भाजपा को लगता है कि केवल भारत ही नाम होना चाहिए तो फिर इस कदम को उठाने में उन्हें साढ़े नौ वर्ष क्यों लग गए? स्पष्ट है इसके पीछे कारण केवल विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना ही है। इतना सामान्य विवेक तो एक मतदाता में भी है कि भारत के प्रति अचानक सत्ताधारी दल में इतना प्रेम क्यों उमड़ा, इंडिया से इतनी नफरत क्यों होने लगी?

दूसरा सम्भावित विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। भाजपा को लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इससे अच्छा हथियार और कोई नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई प्रारूप भी सरकार ने अभी तक देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, कैसे इस पर किसी भी दल या किसी भी समुदाय को आपत्ति ली जा सकती है? कुछ समय पूर्व यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर सुझाव अवश्य कानून मंत्रालय ने मांगे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यदि कोई कानून संसद के द्वारा न भी बनाया जाए, तब भी इस पर चर्चा प्रारंभ करना और उसे बनाए रखना धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक अच्छा तरीका सत्ताधारी दल को लगता है।

तीसरा विषय जो संसद के विशेष सत्र में लाया जाना संभावित लगता है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के संबंध में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही जिस प्रकार के निर्णय दिए गए हैं, उससे सरकार आशंकित है। हाल ही में मणिपुर की घटनाओं पर रिपोर्ट करने वाले एडिटर्स गिल्ड के चार पत्रकारों एवं उसके अध्यक्ष पर असम सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। सरकार किसी भी असहमति और विरोध को सहन नहीं कर पा रही है। वर्तमान में कई ऐसे प्रकरण नए-नए सामने आ रहे हैं जो सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं चाहे

वास्तव में संसद में क्या बिल लाए जाएंगे या किस प्रकार की घोषणा संसद में सरकार एवं विशेष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी है यह सबके लिए उत्सुकता का विषय है। यह भी हो सकता है कि वे उपर लिखित सभी सम्भावनाओं को नकारते हुए कोई ऐसा निर्णय लें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो। इसका उत्तर तो हमें संसद का विशेष सत्र प्रारंभ होने के साथ ही मिलेगा।

भी संशोधन को कानून बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता है।

चौथा मुद्दा है, धार्मिक स्थलों के 1947 के स्वरूप को नहीं बदलने के संबंधित कानून में संशोधन करना। अयोध्या प्रकरण के बाद तत्कालीन सरकार ने एक कानून 1993 में बनाया था जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के समय धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था, उसके बारे में कोई विवाद नया नहीं खड़ा किया जाएगा एवं उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा।

भाजपा एवं संबंधित संगठनों द्वारा विभिन्न मंदिर–मस्जिद के विवादों को उठाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं रहेगी और अनेक स्थानों पर मंदिर – मस्जिद के विवाद के माध्यम से समाज का ध्रुवीकरण कर आगामी चुनाव में बह संख्यक समाज के समर्थन के आधार पर जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकेगा। क्या ऐसा होगा, यह विशेष सत्र में देखना होगा।

पांचवां विषय भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी और ए्विडेंस एक्ट को नए नाम और रूप में संसद से पारित कराना है। विधेयक संसद में रखा जा चुका है। सम्भव है, विशेष सत्र में इसे कानून का रूप भी मिल जाए। इनके माध्यम से जहां न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की बात की गई वहीं कुछ आरोपों में गिरफ्तार लोगों को लंबे समय तक जेलों में बिना ज़मानत के लंबे समय तक जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

छठा विकल्प है, एक देश एक चुनाव की दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ाया जाय। इसका सबसे बड़ा लाभ सत्ताधारी दल को यह होगा कि राज्यों और संसद के चुनाव एक साथ होने पर इंडिया गठबंधन के दलों के आपसी मतभेद को भुनाना आसान होगा क्योंकि राज्यों में सबके अपने–अपने विरोधाभासी हित हैं। वर्तमान समय में अलग–अलग चुनाव होने पर जहां विधानसभा में वह एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे बंगाल में कांग्रेस और टीएमपी, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस, बिहार में जनता दल यू और, कांग्रेस और राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पंजाब में कांग्रेस और आप आदि। एक साथ चुनाव होने पर सब अपने–अपने स्थानीय क्षेत्र में ही व्यस्त हो जाएंगे और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी की राह बहुत आसान हो जाएगी। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार एक देश, एक चुनाव की अवधारणा को लागू करना कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जैसा कि उन्होंने अचानक राष्ट्रीय टी वी पर आकर नोटबंदी और पूरे देश में पूर्ण लोकडाउन की घोषणाएं की थीं। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को देश को झटका देने की आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्णय की क्रियान्वित में आने वाली कठिनाइयों तथा व्यवहारिकता की अधिक परवाह नहीं करते हैं। वह किसी भी निर्णय को पूरे ह्वेंट के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में माहिर है।

9 और 10 सितंबर को आयोजित G 20 सम्मेलन भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। देशवासियों को पता है कि G 20 प्रति वर्ष अलग अलग देश में आयोजित होता है। भारत 18 वें देश है जहाँ ऐसा हो रहा है। भारत के अलावा अन्य देशों ने इसे राष्ट्रीय इवेंट नहीं बनाया और न वहां की सरकारों ने इसका राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए चाहे देश के हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएँ और दिल्ली के गरीब नागरिकों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर विस्थापित कर दिया जाय। विदेश के राष्ट्रपक्ष्यों को हमारी गरीबी नहीं दिखाई दे, इसके लिए सफेद और हरे रंग के कपड़े से उनकी बस्तियां को छिपाने का प्रयास किया गया। ऐसा करते समय सरकार यह भूल जाती है कि आज के संचार क्रांति के युग में किसी से कुछ भी छुपाना सम्भव ही नहीं है।

सातवीं संभावना यह है कि महिला आरक्षण बिल को नए रूप में संसद में प्रस्तुत कर इसे पास कराया जाए। महिला आरक्षण का मामला वैसे तो कई वर्षों से लंबित है किंतु इसे लाकर महिला मतदाताओं का समर्थन करना सुनिश्चित किया जा सकता है।

आठवीं संभावना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में धारा 370 को हटाने से संबंधित हुई सुनवाई को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाए एवं वहां पर शीघ्र चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाया जाए। सरकार हालांकि अब तक कहती रही है कि वहां पर पुनर्सीमांकन का कार्य होने के पश्चात ही चुनाव कराए जा सकेंगे। सीमांकन का उद्देश्य यही है कि जम्मू क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर राज्य में भाजपा की सरकार बनने की संभावना बढ जाए। नवीं संभावना है यह भी व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा की सीटों के सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए एवं तब तक के लिए लोकसभा के चुनाव स्थगित कर दिये जाएँ। नई संसद में लोकसभा में 745 सीटों की क्षमता रखी गई है। इसके परिणामस्वरूप सत्ताधारी दल को एक लाभ यह संभावित है कि दक्षिण की तुलना में उत्तरी भारत से अधिक संसद चुनकर आ पायेंगे जहां उसे अधिक समर्थन प्राप्त है।

उपरोक्त लिखित सभी विकल्प तो केवल जनमानस के मन में संभावना के तौर पर हैं। वास्तव में संसद में क्या बिल लाए जाएंगे या किस प्रकार की घोषणा संसद में सरकार एवं विशेष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी यह सबके लिए उत्सुकता का विषय है। यह भी हो सकता है कि वे उपर लिखित सभी सम्भावनाओं को नकारते हुए कोई ऐसा निर्णय लें जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो। इसका उत्तर तो हमें संसद का विशेष सत्र प्रारंभ होने के साथ ही मिलेगा। तब तक तो हमें ‘बूझो तो जानें’ जैसा खेल ही खेलते रहना पड़ेगा। एक सामान्य मतदाता तो यही अपेक्षा कर सकता है कि कोई इस प्रकार का निर्णय संसद में लिया जाए जिसका सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़े और वह अधिक खुशहाल हो सके।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

चांदपुर खान में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन

बीकानेर मंडल के सभी कारागारों में क्षमता से अधिक बंदी

विरोधी गुटों के बंदी जेलों में आने से बड़ी सुरक्षा की चिंता

बीकानेर, (कासं)। पुलिस के विशेष धरपकड़ अभियान से प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हो गए हैं। अकेले बीकानेर मंडल के 15 केन्द्रीय कारागारों की बात करें, तो इनमें क्षमता से करीब दो गुना बंदी अभी रखे हुए हैं। हाईकोर व हिस्ट्रीशीटरों की संख्या बढ़ने से जेल प्रशासन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

जेलों में दो विरोधी गिरोह के बदमाशों को रखने से जेल प्रशासन को फूंक-फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। प्रदेश की जेलों में हाईकोर व